भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4042**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय का आयात

4042. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि भारत चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हमारा देश केन्या से चाय आयात करने वाला सबसे बड़ा आयातक बन गया है;

(ख) क्या केन्या से चाय के आयात में वृद्धि भारत में चाय उत्पादकों और व्यापारियों के लिए चिंता का कारण रही है, जो कुछ समय से अधिक आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि देश में उत्पादन वर्ष 2024 में 50 मिलियन किलोग्राम से भी कम हो गया है;

(ग) क्या कुछ भारतीय ब्रांड सस्ती और कम गुणवत्ता वाली अफ्रीकी चाय के साथ-साथ ईरान और वियतनाम की घटिया चाय का उपयोग भारतीय चाय के मिश्रण के रूप में और पुनः निर्यात के लिए करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो दुनिया भर में भारतीय चाय की अच्छी छवि को बचाने के लिए ऐसे निर्यातकों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): जी नहीं, भारत केन्या से चाय का सबसे बड़ा आयातक नहीं है। वर्ष 2024 में केन्या से भारत द्वारा चाय का आयात केन्या द्वारा किए गए कुल चाय निर्यात का केवल 2.83% था। वर्ष 2023-24 में समग्र भारतीय चाय आयात 25.21 मिलियन किलोग्राम था जो देश के कुल चाय उत्पादन 1382.03 मिलियन किलोग्राम का 1.82% था। चाय का आयात मुख्य रूप से सम्मिश्रण और पुनः निर्यात के लिए होता है।

(ग) और (घ): इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

यद्यपि, चाय बोर्ड ने देश में आयातित चाय के संबंध में कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिनांक 11.11.2021 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें निर्देश दिया गया कि आयातित चाय को जीआई चाय के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए, और यदि सम्मिश्रण किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद को जीआई चाय के रूप में दावा नहीं किया जाना चाहिए।
- पैकर्स को निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें पैकेजिंग पर स्पष्ट रूप से यह इंगित करना आवश्यक किया गया कि सम्मिश्रित चाय में आयातित सामग्री है।
- आयातकों और निर्यातकों को निर्देश दिया गया है कि वे चाय का आयात या निर्यात करने से पहले बोर्ड के चाय परिषद पोर्टल से अनिवार्य रूप से मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करें, और चाय के पैकेजों पर चाय के उत्पत्ति स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- आयातकों को आयात के 24 घंटे के भीतर आयातित चाय के भंडारण के स्थान के बारे में बोर्ड को सूचित करना चाहिए। आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिक्री इनवॉयस में आयातित चाय की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया हो।
- भारत में आयात के समय एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के लिए चाय की खेपों का परिक्षण किया जाता है। चाय बोर्ड आयातित चाय से अनुक्रमिक नमूने भी एकत्र करता है और एफएसएसएआई मापदंडों के अनुपालन के लिए उनका परीक्षण करता है।
- खाद्य आयात मंजूरी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए चाय बोर्ड, सीमा शुल्क और एफएसएसएआई के बीच संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

*****